

पुस्तक

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा डे-टु-2 मसूदाप भवन,  
पूरिता विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 178 अनुभाग


संयोजक: दिनांक: 23 दिसम्बर, 21

विषय:- जी०डी० पब्लिक स्कूल धरौड़ अलीगढ़ की सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली संवेदना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र कक्ष में निदेश हुआ है कि जी०डी० पब्लिक स्कूल धरौड़ अलीगढ़ की सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अधीन कार्य नहीं है :-

- 111 विद्यालय को पंजीकृत तैसापटी का समय-समय पर रवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 126 विद्यालय की मुख्य सचिवालय में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी एक नमूना होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियोजित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाये और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैदिक परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों को संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार प्रदत्त अनुदान स्थल: समाप्त हो जायेगा ।
- 151 अंतर्गत वैदिक एवं शिक्षापरक कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रवासियों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा प्रो. भत्ते नहीं मिले जायेगे ।

  
Principal  
G.D. Public Sr. Sec. School  
Khair Road, Aligarh

कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलेगा और उन्हें सहायता प्राप्त प्रामाणिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रवासियों का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

  
G.D. Public Sr. Sec. School  
Manage

178 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गमित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

180 विद्यार्थियों का विकास निर्धारित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

181 उक्त बातों में राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पुस्तिकाओं का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त पुस्तिकाओं का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या गिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। सय्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

पू०सं०-सं०सं० 339811/15-7-नदीटनक

पुस्तिका विनियमनिका की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- शिक्षा विभाग, निरीक्षक, प्रतीगढ़।
- 4- निरीक्षक, अगल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, जी०डी० पब्लिक स्कूल खैर रोड, प्रतीगढ़।
- 6- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा है,

। सय्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

Principal  
G.D. Public Sr. Sec. School  
Khair Road, Aligarh

G.D. Public Sr. Sec. School  
Manager